चारा एवं चरागाह विकास की योजना (जि0यो0)अनुसूचित जाति एवं जनजाति कम्पोनेन्ट प्लान के कार्यान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

पशुओं को स्वस्थ रखनें एवं उनसे वांछित उत्पादन प्राप्त करने के लिए पौष्टिक चारे को उपलब्ध कराना नितान्त आवश्यक है। हरा चारा उत्पादन में बीज एक आवश्यक कृषि निवेश है। पौष्टिक चारे के उत्पादन में वृद्वि हेतु उन्नतशील प्रमाणित चारा बीजों का प्रयोग कराकर हरे चारे के उत्पादन में आशातीत वृद्वि की जा सकती है। योजना के क्रियान्वयन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पशुपालको को 50 प्रतिशत कास्ट रिकवरी के आधार पर प्रमाणित चारा बीज उपलब्ध कराया जाना है। इसके क्रियान्वयन में निम्न दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है। निम्न बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

1. उन्नतशील प्रमाणित चारा बीज चिन्हित जनपदों के चयनित अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पशुपालकों को स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को ही उपलब्ध कराया जायेगा।
2. जनपदवार लाभार्थियों की संख्या तथा धनराशि का विवरण तालिका एक में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। जिसका कियान्वयन मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से करायेगें।
3. प्रमाणित चारा बीज ऐसे पशुपालकों को उपलब्ध कराया जायेगा। जिसके पास भूमि, सिचांई की सुविधा, उर्वरक, खाद आदि का कृषि निवेश उपलब्ध हों।
4. प्रमाणित चारा बीजों का कय सरकारी संस्थाओं से ही किया जाये। जैसे राष्ट्रीय बीज निगम, बीज विकास निगम, यू0पी0एग्रों, पी0सी0डी0एफ0, आई0जी0एफ0आर0आई0,झांसी इत्यादि, विभागीय चारा बीज का भी प्रयोग किया जा सकता है।
5. योजना का प्रचार–प्रसार मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, अपने अधीनस्थ पशु चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से पशु चिकित्सालय स्तर पर करायेगें तथा पशुपालकों को निकटतम् पशु चिकित्सालय पर प्रशिक्षण करायेगें।
6. योजना की समीक्षा एवं अनुश्रवण की कार्यवाही मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी एवं सम्बन्धित उप निदेशक, मण्डल, पशुपालन विभाग,द्वारा की जायेगीं
7. संलग्न तालिका के अनुसार लाभार्थियों का चयन कर निदेशालय को अवगत करायेगें।
8. यदि कोई चारा बीज किसी सरकारी संस्था में उपलब्ध नहीं है तो उसके स्थान पर अन्य चारा बीज कय करने से पूर्व निदेशालय से अनुमति प्राप्त करेगें।
9. योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय विवरण संलग्न निर्धारित प्रारूप पर निदेशालय में स्थित चारा सेल को समयान्तर्गत उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का होगा।
10. योजनान्तर्गत 50 प्रतिशत कास्ट रिकवरी के आधार पर वसूल की गयी धनराशि को विभागीय लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा करायी जायेगीं तथा जमा की गयी धनराशि का विवरण एवं ट्रेजरी चालान की छाया प्रति संलग्न कर निदेशालय को उपलब्ध करायेगें।
11. पशु चिकित्सा अधिकारी,पशु चिकित्सालय पर चारा बीज का रिकार्ड (कय तथा वितरण) रखेगें तथा मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी पूर्ण जनपद का चारा बीज लाभार्थियों का नाम व पता, बीज का नाम, मात्रा, वितरण की तिथि, प्राप्त की गयी धनराशि का विवरण अंकित किया जायेगा। लाभार्थी से प्राप्त धनराशि को कोषगार में जमा करने का विवरण भी अंकित करेगे।
12. लाभार्थियों का चयन,चारा बीजों कय तथा बीज वितरण का कार्य यथाशीध्र पूर्ण कर लिया जाय, ताकि पशुपालकों को समय से बीज उपलब्ध हो जाने की दशा में फसलों की

बुवाई समय से हो सकें। लाभर्थी से प्राप्त 50 प्रतिशत धनराशि को 31 दिसम्बर, 2013 तक कोषागार में अवश्य जमा कर दे।

13. प्रति लाभार्थी को बरसीम या जई बीज रूपया 125.00 का चारा बीज वितरित किया जायेगा।
14. योजना के कार्यान्वयन का पूर्ण दायित्व जनपद के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी एवं पशु चिकित्सा अधिकारी का होगा।
15. जिन पशुपालकों को जई बीज दिया जाये उन्हें बरसीम बीज न दिया ताये तथा चयनित लाभार्थियों की सूची निदेशालय स्थिति चारा सेल को समयान्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।
16. संलग्न प्ररूप–1 पर सूचना इस कार्यालय को 31 दिसम्बर 2013 तथा प्रारूप–2 पर 31 मार्च 2014 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।

(पी0एस0गौतम)
अपर निदेशक(गौ0वि0)

क्रमांक	जनपद का नाम	दर प्रति लाभार्थी (रूपया में)	लाभार्थियो की संख्या	धनराशि (रूपया में)
1	मैनपुरी	125.00	800	100000.00
2	मथुरा	125.00	400	50000.00
3	रायबरेली	125.00	320	40000.00
4	पीलीभीत	125.00	400	50000.00
5	आजमगढ	125.00	320	40000.00
6	मिर्जापुर	125.00	800	100000.00
7	श्रावस्ती	125.00	640	80000.00
8	फतेहपुर	125.00	400	50000.00
9	शाहजहॉपुर	125.00	480	60000.00
10	शामली	125.00	800	100000.00
11	गोरखपुर	125.00	800	100000.00
12	बलिया	125.00	800	100000.00
13	फर्रूखाबाद	125.00	400	50000.00
14	कन्नौज	125.00	640	80000.00
15	बलरामपुर	125.00	136	17000.00
16	सोनभद	125.00	640	80000.00
17	हाथरस	125.00	800	100000.00
18	जालौन	125.00	800	100000.00
योग		—	10376	1297000.00

प्रारूप–1

जनपद का नाम–

चारा एवं चारा विकास की योजना (जि0यो0) 2013–14 स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत लाभार्थियो की सूचीः–

क्रमांक	लाभार्थी का नाम	पता	विकास खण्ड का नाम	तहसील का नाम	जनपद का नाम	पशुचिकित्सालय/ पशु सेवा केन्द्र का नाम	दिये गये चारा बीज का नाम एवं मात्रा	अच्छादित क्षेत्रफल (है.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

हस्ताक्षर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,

प्रारूप–2

जनपद का नाम–

चारा एवं चारा विकास की योजना (जि0यो0) 2013–14 स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत लाभार्थियो की सूचीः–

क्रमांक	चारा बीज का नाम	आवंटित धनराशि	व्यय की धनराशि	संस्था का नाम जहाँ से चारा बीज क्रय किया गया	लाभार्थी का नाम एवं पता	50 % कास्ट रिकबरी चालान संख्या	अवशेष धनराशि	अवशेष धनराशि रहने का कारण	अन्य विवरण एवं टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

हस्ताक्षर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,